संभागीय आयुक्त ने शिविरों का निरीक्षण किया

जोधपुर, (कासं)। संभागीय आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा ने बुधवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविरों का अवलोकन किया व शिविरों में अब तक की प्रगति की जानकारी ली।

सम्भागीय आयुक्त ने नगर निगम दक्षिण के सैन्ट्रल एकेडमी स्कूल, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड में आयोजित शिविरों का अवलोकन किया। सम्भागीय आयुक्त ने नगर निगम आयुक्त अरुण पुरोहित से शिविरों के अब तक की प्रगति की जानकारी ली व शिविर में सभी काउन्टर पर जाकर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जाना। उन्होंने शिविर में जारी पट्टों के बारे में भी जानकारी ली।

सम्भागीय आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा एवं इच्छाशक्ति के कारण यह शिविर शहरों व गांवों में लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिविरों के आयोजन का उद्देश्य आमजन के कार्य मौके पर ही करना है।

सम्भागीय आयुक्त ने कहा कि शिविरों में अधिक से अधिक लोगों के कार्य हो इसके लिए सार्थक प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिविर में पात्र व्यक्तियों को फायदा मिले। यह सुनिश्चित हो व विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को इस शिविर में उसी दिन दिया जावे। सम्भागीय आयुक्त ने कहा कि 69 ए के कार्यों का डिस्पोजल समय पर करने के लिए गति बढ़ाई जाए।

संभागीय आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन किया व अब तक की प्रगति की जानकारी ली।

सम्भागीय आयुक्त ने शिविर के अवलोकन के दौरान कहा कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ जरुरतमंद व अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सार्थक प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित योजनओं का व्यापक रुप से लाभ मिले इसके लिए ग्रामीण स्तर तक पूरी निगरानी रखनी जरुरी है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। शिविर में उपायुक्त विवेक व्यास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सम्भागीय आयुक्त ने बलदेव नगर में जाकर वहां नाले व ड्रेनेज कार्यों की समस्या की जानकारी ली। वे नगर निगम आयुक्त दक्षिण अरुण पुरोहित को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता विनोद व्यास व सीएसआई रमेश गिरी भी उपस्थित थे।

शीशम के उन्नत क्लोन्स का विमोचन किया

जोधपुर, (कासं)। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) द्वारा डलबरजिया शीशू (शीशम) के उन्नत क्लोन्स (किस्म) का विमोचन किया गया। आफरी द्वारा 35 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी उन्नत क्लोन्स (किस्म) को जारी किया गया है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की विविधता विमोचन समिति (वी आर सी) ने महानिदेशक वन एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता एवं महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादुन अरूण सिंह रावत भा.व.से. एवं निदेशक आफरी एम. आर. बालोच भा.व.से. द्वारा शीशम की उन्नत किस्मों यथा आफरी डी. एस.-1, आफरी डी. एस.-2 एवं आफरी डी. एस-4 को जारी किया। राजस्थान के वन बल प्रधान श्री डी. एन. पाण्डे (आई. एफ. एस.) तथा अन्य वैज्ञानिक व वन अधिकारी वी. आर. सी. के विषय विशेषज्ञ के रूप में रहें। आफरी निदेशक एम. आर. बालोच ने बताया कि शीशम उत्तर भारत एवं अनेक ट्रोपिकल देशों मे बहुतायत से उगाया जाता है। इसकी लकडी का उपयोग केबिनेटस, फर्नीचर, वनीयर एवं कन्सटंऊक्शन में तथा इसका सेप वुड कागज की पल्प के रूप मे होता है। राजस्थान की हैण्डीक्राफ्ट इण्डस्ट्री में इसकी बड़ी मांग है जहॉ 1500-2000 करोड़ रूपये का वार्षिक लेन देन होता है।

पाली में कार्यशाला शुरू

पाली, (नि.सं.)। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार एवं राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के एसएम एण्ड आईडी घटक के तहत गठित एरिया लेवल फैडरेशन के पदाधिकारियों की संभाग स्तरीय आमुखीकरण कार्यशालाओं का शुभारंभ पाली से किया गया।

संभागवार कार्यशालाओं में जोधपुर संभाग की कार्यशाला का आयोजन 24 व 25 नवम्बर को जय अम्बे फार्मस एण्ड रिसोर्ट पाली में किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला कलक्टर अंश दीप एवं जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत द्वारा बुधवार को जय अम्बे फार्मस एण्ड रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्जवलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था जयपुर के अध्यक्ष केवलचन्द गुलेच्छा द्वारा की गई। कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए बनाए गए जोधपुर संभाग के पर्यवेक्षक श्याम सिंह राजपुरोहित रहे। कलैक्टर अंश दीप ने भाग ले रही महिलाओं से बात कर दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के बारे में जानकारी ली। डे-एनयूएलएम योजना के एसएम एण्ड आईडी घटक के तहत गठित एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) के पदाधिकारियों से बैंकों में ऋण आवेदन पर पेश आ रही समस्याओं एवं उनके निस्तारण पर बात कही। साथ ही स्थानीय स्तर पर महिलाओं के प्रशिक्षण एवं आजीविका विकल्पों, बैंकिंग सहायता इत्यादि पर नगर पालिकाओं द्वारा उचित सहायता एवं मार्ग दर्शन हेतु निर्देश दिए।

बाडमेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली तथा सिरोही जिलों के लगभग 180 पदाधिकारी शामिल हुए।

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था के सचिव प्रदीप कुमार बोरड़ ने बताया कि प्रदेश के सभी सातों संभागों में एक माह के दौरान कार्यशालाएं होंगी। नगर परिषद आयुक्त बृजेश रॉय समेत जिले की पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारी आदि मौजूद रहे।

कांग्रेसियों ने आर्य से मुलाकात की

पाली , (नि.सं.)। जोधपुर से रोहट-पाली तक नई पाइप लाइन योजना को मंजूरी दिलाने की मांग को लेकर आज जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य से उनके निवास पर आज पाली जिले के कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने गांधी 150 के जिला सह संयोजक जीवराज बोराणा के नेतृत्व में मुलाकात कर शीघ्र स्वीकृत कराने की मांग की।

इस दौरान गांधी 150 के पूर्व सरपंच गिरधारीसिंह राजपुरोहित धोलेरिया,पार्षद आमीन अली रंगरेज़, पूर्व पार्षद राजू सोलंकी, ओ बी सी ब्लॉक अध्यक्ष वागाराम बिश्नोई, पूर्व सरपंच अरुण पाण्डे, महेश परिहार साथ मे मौजूद रहे।

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय मंजिल, मैट्रिक्स मॉल
सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)- 302004
ई-मेल: sbi.18184@sbi.co.in, शाखा कोड- 18184
फोन: 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
कब्जे संबंधी सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 (2002 का क्र. 3) के प्रवर्तन और धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) कानून 2002 के अन्तर्गत **दिनांक 23.06.2021** को डिमांड नोटिस जारी किया था जिसमें ऋणी **मैसर्स यश क्रियेशन्स, प्रो. श्री चन्द्र प्रकाश चाण्डक पुत्र श्री खेमराज चाण्डक** को उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर उसमे उल्लिखित **रू. 1,88,93,154.00 (अक्षरे एक करोड़ अठासी लाख तिरानवे हजार एक सौ चौवन रूपये मात्र) (दिनांक 23.06.2021 को बकाया दिनांक 23.06.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए)** की राशि को चुकाने का अनुरोध किया था।

ऋणी द्वारा यह राशि न चुका पाने के कारण ऋणी एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **18.11.2021** को यहां नीचे दिए गए विवरण वाली संपत्ति का कब्जा/स्वामित्व ले लिया है।

ऋणी को विशेषकर तथा आम जनता को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि वे इस संपत्ति में कोई लेनदेन न करे और इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन **भारतीय स्टेट बैंक के रू. 1,88,93,154.00 (अक्षरे एक करोड़ अठासी लाख तिरानवे हजार एक सौ चौवन रूपये मात्र) (दिनांक 23.06.2021 को बकाया व दिनांक 23.06.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए)** की राशि तथा उस पर भविष्य के ब्याज व खर्चों के ऋणभार प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उपलब्ध संपत्तियों को छुडा लेने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री लक्ष्मण दागा पुत्र श्री चम्पा लाल दागा व श्रीमति प्रिति दागा पत्नि श्री लक्ष्मण दागा के नाम प्लॉट नं 74, खसरा नं 1877, गली नं 2, आदर्श नगर, मण्डोर, जोधपुर, जिला जोधपुर (राज.) स्थित निर्मित आवासीय भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 1250 वर्गफिट व जिसकी **सीमाएं** निम्न है- पूर्व: प्लॉट नं 67, पश्चिम: रोड 20', उत्तर: प्लॉट नं 73, दक्षिण: प्लॉट नं 75

श्री चन्द्र प्रकाश चाण्डक पुत्र श्री खेमराज चाण्डक के नाम व्यवसायिक शौरूम नं 3, प्रथम तल, सिल्वर स्क्वायर, प्लॉट नं सी-18, भगवान दास रोड़, सी-स्कीम, जयपुर (राज.) स्थित निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 346.38 वर्गफिट व जिसकी **सीमाएं** निम्न है- पूर्व: सिढिया, पश्चिम: दुकान नं 2, उत्तर: मालिकाना हक विलेखों के अनुसार , दक्षिण: गलियारा **हस्ता.**

दिनांक: 18.11.2021 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: जयपुर (राज.) भारतीय स्टेट बैंक

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बैठक आयोजित

पिंडवाड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर ए.डी.जे. वमिता सिंह ने बैठक ली।

फोटो-राष्ट्रदूत

पिंडवाड़ा, (निसं)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशानुसार 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर पिंडवाड़ा न्यायालय के प्रांगण में बैठक हुई।

विधिक सेवा समिति पिंडवाडा के अध्यक्ष व अपर जिला सेशन न्यायधीश वमिता सिंह, सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपेंद्र सिंह शेखावत, ग्राम न्यायालय न्यायिक मास्टर संजू चौधरी की मौजूदगी में तहसील क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बडौदा राजस्थान मारवाड ग्रामीण बैंक मुख्य प्रबंधक विद्युत विभाग बीएसएनएल विभाग उच्च अधिकारियों की बुधवार को बैठक बुलाकर इस तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रीलीट्रेगशन मामले को आपसी समझौते के आधार पर अधिक से अधिक प्रकरण निपटाने का आहवान किया गया।

वमिता सिंह ने अधिकारियों को कहा कि कई मामले ऐसे हैं, जो थाने तक नहीं पहुंचे अदालत नहीं पहुंचे। ऐसे मामले को चिन्हित कर उन्हें भी आपसी राय मशवरा से समझौता कर निपटाने के सख्त निर्देश दिए। वहीं इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले के निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। अवसर पर विद्युत विभाग के एक्सईएन अमृत जाटव, पुलिस उप अधीक्षक पिंडवाडा किशोर सिंह चौहान, प्रताप राम प्रजापत, आदर्श बैंक के ब्रांच इंचार्ज प्रवीण सिंह सहित तहसील क्षेत्र के बैंक के मैनेजर मौजूद रहे।

बाड़मेर जिले में 2 अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त, 9 स्थानों पर पकड़ी विद्युत चोरी

- बाड़मेर डिस्कॉम की कई टीमों ने विद्युत चोरों के खिलाफ कार्रवाई की

बाड़मेर, (निसं)। बाड़मेर डिस्कॉम की विभिन्न टीमों द्वारा बुधवार को विद्युत चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त कर नौ स्थानों पर विद्युत चोरी पकड़कर करीब चार लाख रूपए का जुमार्ना लगाया गया। इसमें उपभोक्ता और गैर उपभोक्ता द्वारा घरेलू एवं श्रेणी कृषि श्रेणी में विद्युत चोरी की जा रही थी।

यह जानकारी देते हुए जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि मंगलवार को मुख्य अभियंता बाड़मेर डॉ. संजय वाजपेयी द्वारा दिए गए निर्देश एवं प्रबंध निदेशक जोधपुर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में बुधवार को नौ स्थानों पर विद्युत चोरो के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसमें सहायक अभियंता सेडवा हिमांशु वर्मा मय विद्युत चोरी निरोधक थाना के साथ मिलकर बचावल गांव निवासी पुरखाराम पुत्र लालाराम द्वारा खेत में स्थित 11 केवी लाईन में अंकुड़िये लगाकर झाड़िया में अवैध ट्रांसफॉर्मर छुपाकर विद्युत चोर कर कृषि कार्य करते हुए पाए जाने पर अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त कर उसके खिलाफ 92050 रूपए का जुर्माना लगाया गया।

इसी प्रकार टीम द्वारा बचावल गांव में ही बॉर्डर फ्लड लाईट की 11 केवी लाईन में अंकुडिया लगाकर अवैध मॉडिफाईड ट्रांसफॉर्मर के जरिए कृषि कार्य करते हुए पाया गया।

इस पर ट्रांसफॉर्मर जब्त कर उसके खिलाफ 1.27 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया।

अधिशाषी अभियंता (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर दूर्गाराम चौधरी एवं सहायक अभियंता (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम, बाड़मेर के.के. वैष्णव, मय टीम ने शहर के दानजी की होदी निवासी लक्ष्मणसिंह पुत्र शंकरसिंह सर्विस लाईन में कट लगाकर विद्युत चोरी करते हुए पाए जाने पर सतर्कता जांच की कार्यवाही करते कर उनके खिलाफ 17 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया। सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम पादरू भुपेन्द्रसिंह द्वारा मिठौडा गांव में कार्यवाही करते हुए लुम्बाराम पुत्र बुधाराम माली द्वारा विद्युत चोरी कर कृषि कार्य करते हुए पाए जाने पर 65857 रूपए एवं दीपाराम पुत्र हंजाराम माली के यहां पर विद्युत चोरी करते हुए पाए जाने पर 19034 रूपए का जुर्माना लगाया गया।

कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण धीरज खत्री मय टीम द्वारा गांव गुडीसर में सतर्कता जांच की कार्यवाही करते हुए चार स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी। इसमे उपभोक्ता भगाराम पुत्र आसूराम द्वारा सर्विस लाईन में कट लगाकर बिजली चोरी करने पर उनके खिलाफ आठ हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। इसी क्रम में गैर उपभोक्ता रमेश कुमार पुत्र करनाराम द्वारा विद्युत चोरी करने पर आठ हजार रूपए, उपभोक्ता बुंगा पुत्र हंसा के खिलाफ दस हजार रूपए एवं गैर उपभोक्ता प्रेम पुत्र धारू द्वारा बिजली चोरी करने पर उनके विरूद्ध छह हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया।

इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता सिवाना हनुमानाराम चौधरी द्वारा महिलावास गांव में सिंगल फेज सप्लाई लाईन में अंकुड़िये डालकर चोरी कर कृषि कार्य करने पर कार्यवाही कर सतर्कता जांच की कार्रवाई कर करीब जुर्माना लगाया गया।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समन्वित
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समन्वित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09.12.2019 को एक मांग नोटिस कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. मुकेश रिजवानी, 2. आरती रिजवानी, 3. भव्य रिजवानी को जारी किया गया था जिसमें 07.12.2019 की तिथी को नोटिस में उल्लेखित राशि रूपये 15,41,895.68/- (रूपये पन्द्रह लाख इकतालीस हजार आठ सौ पिचयानवे और पैसा अडसठ मात्र) का भुगतान उपर्युक्त निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ती की तिथी से 60 दिन के अन्दर करने के लिये कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज नवम्बर 2021 के 19वे दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समन्वित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशि रूपये 15,41,895.68/- (रूपये पन्द्रह लाख इकतालीस हजार आठ सौ पिचानवे और पैसा अडसठ मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति गोदाम, दासपा की हवेली, पोकरण हवेली के पास, जोधपुर-342001 का पूरा व प्रत्येक भाग, पू-मोहम्मद अमीन की सम्पत्ति, प.-सोहन लाल की सम्पत्ति, उ.-08 फिट रास्ता, द.-बरकोना ठाकुर की हवेली

दिनांक- 19.11.2021
स्थान - जोधपुर
ऋण खाता सं.- 13616559
प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समन्वित

समन्वय समिति की बैठक हुई

जालोर, (कासं)। जिला कलैक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय समीक्षा व समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में सितम्बर त्रैमासिक अंत तक वार्षिक साख योजना की प्रगति, साख जमा अनुपात, वित्तीय समावेशन प्रगति, आर सेटी की कार्य प्रगति समीक्षा सहित सरकारी योजनाओं में बैकों की लक्ष्यानुरूप उपलब्धियों पर व्यापक चर्चा व प्रगति पर समीक्षा की गई।

कलैक्टर वृष्णि ने सभी सरकारी योजनाओं यथा दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण पोप योजना, पी.एम.ई.जी.पी.योजना, इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम योजना, पशुपालन व मत्स्य पालन केसीसी योजना, राजिविका के स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज पर बैंकवार समीक्षा कर लक्ष्य अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए।

सेवा सहकारी समिति की बैठक में अव्यवस्था व हेराफेरी के मुद्दे उठे

रानी, (निसं)। पाली जिले में रानी गांव ग्राम सेवा सहकारी समिति की विशेष बैठक व्यवस्थापक मोहनलाल लोहार की अध्यक्षता में समिति में हुई।

मोहनलाल ने पूर्व व्यवस्थापक सेवादास पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा हस्ताक्षर कर सेवादास को रकम उठाने के लिए चेक दिए थे। जिस पर उसने 23 जुलाई 21 को 17 लाख रुपये बैंक से उठाए। उसके बाद 31जुलाई 21 को सेवानिवृत हो गया। समिति के उपाध्यक्ष मूलसिंह ने कहा कि रानी गांव सह सामिति में अव्यवस्था तो हुई है। उन्होंने अपने रिश्तेदार द्वारा पूर्व व्यवस्थापक को 46 हजार रुपये एकाउंट में जमा करने के लिए दिए थे जिसकी रसीद बाद में देने के लिये कहा लेकिन रसीद नहीं दी , लेकिन एकाउंट में भी जमा नहीं करवाये। उन्होंने किसानों को भुगतान देने की बात कही।

रानी गांव ग्राम सेवा सहकारी समिति की विशेष बैठक व्यवस्थापक मोहनलाल लोहार की अध्यक्षता में हुई।

फोटो-राष्ट्रदूत

समिति के व्यवस्थापक रतनसिंह ने बैठक में पूर्व व्यवस्थापक द्वारा सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें चार्ज नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि तीन डायरेक्टर भी उससे मिले हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व व्यवस्थापक ने 10 वर्ष का वेतन एक साथ प्राप्त कर समिति को हानि पहुचाई, 2011 के बाद निरीक्षण नहीं करवाया, दो सालों से किसानों को इंश्योरेंस नहीं मिला, तीन कर्मचारियों की नियुक्ति 2019 में हुई लेकिन वेतन 2017 से दिया। समिति परिसर में निवास भवन को अभी तक खाली नहीं करने का आरोप लगाया।

अध्यक्ष मोहनलाल, उपाध्यक्ष मूलसिंह, उप सरपंच नरेश आगरी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी बाबूलाल , पीराराम देवासी पूर्व सरपंच, समिति के डायरेक्टर कानाराम, जोधाराम, गणेशराम मेघवाल, जोगाराम मीना, नाथूसिंह राठौड, शैतानसिंह, सोहनसिंह, मांगीलाल मेवाड़ा सहित कई जने उपस्थित थे।

जोधपुर के स्कूलों में सतर्कता पर जोर दिया

जोधपुर, (कासं) । राजधानी जयपुर और अजमेर की स्कूलों में करोना पॉजिटिव आने वाले बच्चों के बाद जोधपुर में भी अब स्कूल प्रबंधन ने सावचेती बरतनी शुरू कर दी है।

हालांकि जोधपुर में अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। बच्चों और उनके अभिभावकों को बराबर सजग किया जा रहा है।

गौरतलब है कि राजधानी जयपुर की एक स्कूल में 13 बच्चों करोना पॉजिटिव मिलने के बाद जोधपुर में पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे है। कई पेरेंट्स ने तो स्कूल शुरु होने के दिन से अभी तक एक बार भी स्कूल नहीं भेजा। उन्हें कोविड का डर पहले से ही सता रहा है। इधर अब जयपुर में एक साथ इतने केस आने के बाद जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेज रहे थे वे अब कतराने लगे है। पेरेंट्स का कहना है कि फिर से ऑनलाइन क्लास ही जॉइन करवाएंगे।

स्कूल कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है लेकिन स्कूल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने से दो गज की दूरी का पालन संभव नहीं हो पा रहा है। लगातार बच्चों में बढ रहे केस से पेरेंट्स चिंतित है। जोधपुर में एक भी बच्चा फिलहाल संक्रमित नहीं मिला।

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN-L65910KL1992PLC006623,
IV/470A (old) W638A(New), Manappuram House,
Valapad, Thrissur, Kerala - 680 567.

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.12.2021 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

बाड़मेर, बालोतरा राजस्थान, 135580700008818, 9949, 135580700010002, 0020, 0086, 0162, 0170, 0181, 0197, 0204, 0207, 0307, 0310, 0329, 0433, 0526, 0550, 0624, 0640, 0641, 0659, 0661, 0693, 0803, 0912, 0938, 0965, 0970, 0982, 1139, 1236, 1272, 1311, 1326, 1356, 1388, 1415, 1547, 1734, 1765, 1792, 1796, 1797, 1800, 1805, 1814, 1815, 1839, 1841, 1850, 1854, 1859, 1862, 1887, 1890, 1891, 1892, 1896, 1899, 1903, 1910, 1924, 1930, 1944, 1959, 1960, 1964, 135580730011671, 1742, 1823, 1981, 1989, 1990, 2039, 2130, 2432, 2433, 2548, 2938, 3111, 3886, 3911, 3912, 3920, 3928, 3935, 3936, 3965, 3973, 3995, 4000, 4013, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 135580780000012, 0013, बाड़मेर, 138040700001195, 1699, 1721, 1723, 1748, 1762, 1768, 1775, 1776, 1779, 138040730008506, 8762, 8795, 138040730012614, 5560, 5673, 5689, 5725, 6114, पालिका बाज़ार नया बस स्टैंड बालोतरा, 138060700001114, 1714, 1845, 1859, 1863, 1868, 1877, 1891, 1892, 1895, 1898, 1910, 1914, 1921, 1927, 1930, 1931, 1937, 1949, 1950, 1956, 1957, 1958, 1965, 1969, 1972, 138060730001553, 2047, 2065, 2068, 2089, 2093, 2105, 2118, 2122, 2162, 2163, 2168, जोधपुर, आकलीया सर्कल जोधपुर, 114110700035124, 5279, 5324, 5610, 5698, 5777, 5805, 5902, 6153, 6177, 6268, 6272, 6283, 6339, 6380, 6387, 6493, 6532, 6538, 6599, 6758, 6857, 6863, 6864, 6872, 6875, 6888, 6896, 6903, 6962, 6990, 6999, 7090, 7102, 7261, 7300, 7338, 7341, 7419, 7473, 7573, 7621, 7639, 7648, 7649, 7660, 7691, 7705, 7811, 7858, 7887, 8174, 8277, 8303, 8321, 8324, 8329, 8332, 8342, 8345, 8406, 8431, 8445, 8452, 8453, 8454, 8455, 8471, 8472, 8499, 8571, 114110730014793, 4794, 7165, 114110730020134, 0192, 0479, 0736, 0818, 0970, 1101, 1121, 1187, 1257, 1294, 1303, 1348, 1456, 1520, 1633, 1642, 1760, 1771, 1772, 1874, 1934, 2108, 2164, 2425, 2572, 2668, 2684, 2812, 2876, 2945, 2960, 3008, 3028, 3085, 3324, 3340, 3550, 3621, 3632, 3770, 3778, 4951, 4960, 5037, 5048, 5096, 5097, 5139, 5205, 5227, 5277, 5371, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5390, 5438, महा मंदिर सर्कल, 123010700026023, 6441, 6898, 8000, 8168, 8388, 8392, 8615, 8758, 8819, 8895, 8926, 9014, 9026, 9087, 9106, 9302, 9551, 9602, 9604, 9635, 9648, 9711, 9768, 9797, 9907, 9924, 9955, 9975, 123010700030019, 0041, 0062, 0069, 0071, 0095, 0125, 0150, 0153, 0195, 0211, 0213, 0215, 0241, 0602, 0750, 0766, 0795, 0819, 0823, 0827, 0831, 0834, 0838, 0839, 0841, 0842, 0848, 0855, 0857, 0860, 0869, 0874, 0885, 0901, 0904, 0911, 0925, 0942, 0943, 0947, 0956, 0972, 0986, 0987, 0998, 1001, 1018, 1022, 1039, 123010730023256, 4701, 4898, 5028, 5571, 6714, 6955, 7241, 7409, 7495, 7627, 7673, 8125, 8289, 8753, 9547, 9989, 123010730030141, 0927, 2558, 2603, 2625, 2635, 2642, 2665, 2666, 2671, 2688, 2706, 2707, 2710, 2711, 2714, 2716, 2755, 2803, 2805, 2807, 2808, 2810, 2836, 2878, 2933, 2983, 2984, 2985, 3000, 3001, 3045, 3099, 3102, 3149, 3205, 3214, 3261, 3262, 3299, 3300, फलौदी शाखा राजस्थान, 135610700009111, 9434, 9467, 9587, 9611, 9698, 9864, 9867, 9871, 9904, 9994, 135610700010013, 0050, 0123, 0216, 0222, 0420, 0497, 0499, 0545, 0547, 0559, 0573, 0632, 0713, 0768, 0779, 0780, 0876, 0938, 0944, 0964, 1233, 1290, 1338, 1354, 1373, 1377, 1380, 1383, 1384, 1385, 1388, 1395, 1398, 1404, 1405, 1411, 1412, 1417, 1421, 1425, 1427, 1430, 1432, 1444, 1445, 1448, 1450, 1454, 1456, 1459, 1477, 1484, 1500, 1518, 1536, 135610730005853, 6002, 6029, 6032, 6033, 6415, 6676, 6677, 6850, 6893, 6922, 6942, 7594, 7672, 7707, 7719, 7723, 7727, 7750, 7771, 7774, 135610780000010, सरस्वती नगर जोधपुर, 124320700025213, 5241, 5445, 5497, 5591, 5592, 5614, 5714, 5763, 5797, 6007, 6031, 6108, 6129, 6222, 6225, 6245, 6247, 6248, 6388, 6635, 6645, 6661, 6805, 6825, 6837, 7004, 7016, 7136, 7277, 7332, 7334, 7414, 7604, 7605, 7611, 7613, 7689, 7705, 7710, 7716, 7786, 7822, 7878, 8007, 8022, 8053, 8128, 8253, 8282, 8422, 8594, 8656, 8763, 8860, 8885, 8914, 8922, 8924, 8927, 9078, 124320730016640, 8957, 9409, 9573, 9584, 9679, 9774, 9812, 9835, 9845, 9910, 9966, 124320730020110, 0171, 0183, 0244, 0245, 0246, 0247, 0271, 0280, 0282, 0344, 0345, 0383, 0420, 0481, 0551, 0664, 0839, 0959, 1063, 1105, 1159, 1183, 1184, 1301, 1340, 1430, 1489, 1501, 1600, 1754, 1888, 1911, 1968, 1969, 2027, 2244, 2264, 2318, 2319, 3190, 3191, 3192, 3418, 3464, 3472, 3489, 3506, 3507, 3521, 3541, 3687, 124320780000003, पाली, मानड्यिा रोड, 115370700016089, 6154, 6247, 6307, 6332, 6465, 6587, 6968, 7050, 7057, 7147, 7210, 7281, 7393, 7595, 7696, 7719, 7733, 7766, 8158, 8167, 8169, 8173, 8175, 8176, 8178, 8184, 8186, 8195, 8206, 8210, 8220, 8223, 8235, 8236, 8237, 8243, 8245, 8248, 8251, 8253, 8288, 8291, 8294, 8298, 8299, 8303, 8304, 8305, 8313, 8323, 8325, 8335, 8337, 8338, 115370730014654, 4655, 4867, 4958, 5487, 6236, 7023, 7740, 7750, 7778, 7980, 7993, 7994, 8499, 9731, 9766, 9770, 9825, 9845, 9846, 9854, 9857, 9871, 9891, 9974, सुमेरपुर, 135550700007668, 7747, 7849, 7941, 7961, 7999, 8001, 8141, 8167, 8191, 8225, 8405, 8854, 8882, 8919, 8962, 8996, 9033, 9051, 9294, 9373, 9376, 9380, 9383, 9384, 9393, 9400, 9414, 9417, 9419, 9442, 9448, 9456, 9460, 9462, 9467, 9472, 135550730011611, 1615, 1616, 1618, 1687, 1688, 1712, 1875, 1877, 1963, 2030, 2073, 2421, 2441, 2706, 2707, 2708, 2721, 3039, 3298, 3730, 4890, 5157, 6384, 6385, 6403, 6427, 6429, 6475, 6529, 6542, 6666, 6684, 6700, 6731, सूरजपोल पाली, 115410700019092, 9889, 115410700020198, 0202, 0297, 0311, 0333, 0336, 0388, 0416, 0432, 0459, 0531, 0567, 0616, 0668, 0712, 1075, 1148, 1167, 1238, 1271, 1272, 1312, 1349, 1377, 1394, 1430, 1495, 1511, 1571, 1581, 1583, 1625, 1632, 1672, 1673, 1692, 1716, 1733, 1759, 1800, 2184, 2189, 2191, 2193, 2197, 2198, 2199, 2214, 2216, 2225, 2231, 2233, 2236, 2237, 2239, 2243, 2246, 2254, 2266, 2270, 2276, 2279, 2282, 2300, 2301, 2322, 2324, 2329, 2336, 2337, 2339, 2342, 2343, 2345, 2346, 2352, 2367, 115410730011243, 1312, 1338, 1339, 1377, 1421, 1449, 1544, 1595, 1830, 2022, 2146, 2549, 2572, 2573, 2886, 2920, 2987, 3005, 3024, 3663, 3664, 3769, 3812, 3897, 3924, 3925, 3940, 3978, 3979, 4063, 4309, 4754, 4755, 4819, 4836, 4912, 4934, 4940, 4941, 115410780000007, सिरोही, आबू रोड, 138340700000387, 0451, 0461, 138340730004868, 4983, 5125, 6178, 6182, 8589, 8689, बायपास रोड सिरोही, 138070700001144, 1158, 1165, 1166, 1168, 1180, 1426, 1477, 1537, 1692, 1714, 1742, 1790, 2009, 2015, 2020, 2031, 2039, 2054, 2058, 2059, 2081, 2082, 2083, 2084, 138070730002332, 2335, 2378, 2715, 2719, 2720, 2726, 2907, 3540, 3555, 3574, गौशाला रोड शिवगंज, 137980700000728, 0756, 0794, 0809, 0819, 0820, 0858, 1003, 1020, 1027, 1078, 1099, 1261, 1303, 1330, 1468, 1474, 1486, 137980730002759, 2782, 2909, 3216, 3403, 3844, 3866, सिरोही राजस्थान, 119970700014400, 5631, 6073, 6122, 6201, 6229, 6282, 6285, 6295, 6435, 6451, 6469, 6505, 6507, 6566, 6688, 6696, 6831, 6835, 6843, 6857, 6864, 6882, 6889, 6921, 6929, 6936, 6938, 6965, 6985, 6992, 6994, 6996, 7020, 7051, 7056, 7198, 7222, 7223, 7293, 7365, 7389, 7408, 7564, 7619, 7680, 7759, 7766, 7769, 7787, 7798, 7799, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7823, 7830, 7843, 7860, 7861, 7866, 7873, 7905, 7908, 7920, 7921, 7922, 119970730014724, 9814, 119970730020905, 1006, 1080, 1516, 1538, 1604, 2387, 2522, 2523, 2598, 2692, 2796, 2967, 3139, 3328, 5063, 5487, 5516, 5783, 6246, 6444, 6445, 6448, 6449, 6454, 6458, 6598, 6669, 6730, 7108, 7198, 7329, 7425, 7468, 9710, 9772, 9795, 9796, 9980, 9995, 119970730030002, 0003, 0004, 0017, 0137, 0174, 0183, 0209, 0211, 0297,

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:- इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू.10,000/- नीलामी के दिन नकद जमा कराना होगा (असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलीकर्ता को वैध पहचना प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 9072604049 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.